उद्धरण

संख्याः–24/8/76–का–प्रसति/1999

प्रेषक,

सुधीर कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

विभागः–प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक   लखनऊः–दिनांकःअगस्त 11, 1999

विषयः–अतिथि वार्ताकारों को प्रदान किये जाने वाले मानदेय की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों हेतु संबंधित विभागों व्दारा निर्धारित की गयी मानदेय की भिन्न–भिन्न दरों को अवक्रमित करते हुये तात्कालिक प्रभाव से राज्याधीन समस्त प्रशिक्षण संस्थानों में मानदेय की साधारण दर रूपये 300 (रूपये तीन सौ मात्र) प्रति वार्ता एवं विशिष्ट दर रूपये 500 (रूपये पांच सौ मात्र) प्रति वार्ता, निम्न शर्तो के अधीन निर्धारित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) नियमित रूप से आमंत्रित किये जाने वाले स्थानीय वार्ताकारों को साधारण दर से मानदेय का भुगतान किया जाय।

(2) बाहर से बुलाये जाने वाले विशेषज्ञ वार्ताकारों को विशिष्ट दर से मानदेय का भुगतान किया जाय।

(3) किसी प्रशिक्षण विशेष हेतु 75% वार्तायें संस्थान के अधिकारियों व्दारा तथा 25% वार्तायें अतिथि वार्ताकारों के माध्यम से आयोजित करायी जायें।

(4) मानदेय की उपर्युक्त दरें राज्य एवं मण्डल स्तरीय समस्त प्रशिक्षण संस्थानों में समान रूप से लागू होंगी।

2– इस संबंध में होने वाला काम, संबंधित विभागों के आय–व्ययक की मदों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः–जी–442/दस'99 दिनांक 6–8–99 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
(सुधीर कुमार)
सचिव

संख्याः–24/8/76(1)–का–प्रसको/99, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।